

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०,

जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, मालवीय नगर, जयपुर-302017
फोन नं. 0141-2751417, 2751352 / Email- raj_coop_press@yahoo.co.in,
thecooperativepress@gmail.com
Website :- www.thecooperativepress.com

क्रमांक/रारासमु/प्रशा/2020-21/ 54-60

दिनांक 6.5.2020

मै. आर.एस. एन्टरप्राइजेज
308, तीसरी मंजिल, सिटी प्लाजा (स्पेस सिनेमा)
बनीपार्क, जयपुर।

मुद्रणालय में वर्ष 2020-21 (31.3.2021 तक) की अवधि में मुद्रणालय की स्वीकृत दरों पर मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार संविदा पर तकनीकी एवं कार्यालय कर्मी (कम्प्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, प्रिन्टिंग हैल्पर, सहायक मशीन आपरेटर व पिओन इत्यादि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कामगारों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	तादाद	स्वीकृत पारिश्रमिक
1.	कम्प्यूटर आप. की सेवाएं	आवश्यकतानुसार	18000/- रु. प्र0माह प्र0 व्यक्ति
2.	लिपिक की सेवाएं	आवश्यकतानुसार	18000/- रु. प्र0माह प्र0 व्यक्ति
3.	प्रिन्टिंग हैल्पर की सेवाएं	आवश्यकतानुसार	12000/- रु. प्र0माह प्र0 व्यक्ति
4.	सहा. मशीन ऑप. की सेवाएं	आवश्यकतानुसार	18000/- रु. प्र0माह प्र0 व्यक्ति
5.	चपरासी (पिओन) की सेवाएं	आवश्यकतानुसार	12000/- रु. प्र0माह प्र0 व्यक्ति

उपरोक्त स्वीकृत दरों के अतिरिक्त निम्न दरें भी अतिरिक्त स्वीकृत की जाती हैं:-

1.	पी.एफ (नियोक्ता के हिस्से का अंशदान)	13%
2.	ई.एस.आई. (नियोक्ता के हिस्से का अंशदान)	4.75%
3.	जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर)	18.00%
4.	सर्विस चार्ज की दर	0.01%

मुद्रणालय में संवेदक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- मुद्रणालय में संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कामगार वांछित योग्यता वाले रखने होंगे तथा उक्त कामगार मुद्रणालय परिसर में, प्रशासन के अधीन अनुशासन में रहकर निर्देशों की पालना करेंगे एवं तकनीकी कामगार कार्यशाला सम्बन्धी जानकारी रखेंगे।
- मुद्रणालय में उपलब्ध कराये जाने वाले कामगारों से सम्बन्धित संवैधानिक अधिकारों/कर्तव्यों यथा पी.एफ., ई.एस.आई. एवं अन्य सभी व्ययों का निर्वहन का सम्पूर्ण दायित्व अनुमोदित संवेदक का होगा अर्थात् सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्व यथा पी.एफ., ई.एस.आई. इत्यादि का अंशदान तथा जी.एस.टी. सम्बन्धित विभाग में प्रतिमाह निर्धारित अवधि में जमा कराने की जिम्मेदारी अनुमोदित संवेदक की होगी। उक्त पी.एफ., ई.एस. आई/जी.एस.टी. सम्बन्धित विभागों में जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति मुद्रणालय को प्रतिमाह कामगारों की भुगतान की प्रति सहित अगले माह के भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ आवश्यक रूप से मुद्रणालय में जमा कराना होगा।
- मुद्रणालय को उपलब्ध कराये जाने वाले कामगार अनुभवी एवं ईमानदार एवं मुद्रणालय के प्रति जागरूक होने चाहिये। उपलब्ध कराये जाने वाले उक्त कामगारों द्वारा किसी प्रकार की चोरी या अन्य किसी प्रकार के अपराधिक प्रवृत्ति के कार्य करने पर समस्त जिम्मेदारी अनुमोदित संवेदक की होगी।
- मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार उपरोक्त कामगार प्रतिमाह उपलब्ध करवाने की व्यवस्था अनुमोदित संवेदक द्वारा की जावेगी। यदि अनुमोदित संवेदक मुद्रणालय की

P. To.

आवश्यकतानुसार कामगार उपलब्ध कराने में असफल रहता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति राशि की वसूली संवेदक की होगी।

5. अनुमोदित संवेदक को बतौर सिक्कूरिटी राशि के रूप में 2.50 लाख रुपये (लघु उद्योग की स्थिति में 50 हजार रु.) मुद्रणालय में जमा करना होगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा के साथ जमा कराई गई राशि इसमें समायोजित कर ली जायेगी।
6. अनुमोदित संवेदक द्वारा प्रेषित बिलों में से नियमानुसार टी.डी.एस. काटकर भुगतान किया जावेगा।
7. मुद्रणालय में रखे जाने वाले कामगारों को प्रतिमाह समय पर पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुमोदित संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जायेगा।
8. अनुमोदित संवेदक को तीन दिवस में मुद्रणालय के पक्ष में 500/- के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर पर वित्त (G&T) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र एफ. 2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.4.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अनुबंध करना होगा। अनुबंध के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
9. अनुमोदित संवेदक का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक माह के नोटिस पर कान्ट्रैक्ट (अनुबंध) निरस्त कर दिया जावेगा।
10. कामगारों पर प्रशासनिक नियंत्रण मुद्रणालय का रहेगा लेकिन कार्यकुशलता एवं अनुशासन को बनाये रखने हेतु इनका समय-समय पर निरीक्षण करना अनुमोदित संवेदक का दायित्व होगा।
11. कामगारों का कार्य समय एवं अवकाश मुद्रणालय के नियमानुसार एवं निर्देशानुसार होगा।
12. अन्य शर्तें निविदा एवं संविदा की शर्तों के अनुसार होगी।
13. मुद्रणालय की आवश्यकतानुसार कामगारों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी करने का अधिकार मुद्रणालय का होगा।
14. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण में) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
15. निविदा अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध की तिथि से 31.3.2021 होगी। आवश्यकता होने पर आपसी सहमति से नियमों के तहत अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
16. संवेदक को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना करनी होगी। सा.वि. एवं ले.नि. RTTP Act and Rule तथा संगत नियमों के प्रावधान यथावत लागू होंगे।
17. यदि संवेदक द्वारा कार्मिकों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान नहीं करने संबंधी शिकायत प्राप्त होती है तो मुद्रणालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं संवेदक को DEBAR करने की कार्यवाही करेगा।

उपरोक्त शर्तों की पालना करते हुए 3 दिवस में निर्धारित सिक्कूरिटी राशि जमा कराते हुए अनुबंध निष्पादित करना सुनिश्चित करें।



(आर.एस. चूडावत)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. महाप्रबंधक/उत्पादन एवं बंधन अधिकारी/संस्थापन अधिकारी/लेखाशाखा/कैशियर, संस्था
2. आदेश पत्रावली

प्रबन्ध निदेशक